संख्या - 1608/60-3-99-3(144)/ 99टी०सी०

प्रेषक,
श्री देवेन्द्र स्वरूप,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी,
   उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग - 3

लखनऊ : दिनांक 13 अगस्त, 1999

विषय :- निराश्रित विधवा पेंशन का वितरण 60 वर्ष की आयु के बाद भी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निदेशक, महिला कल्याण के परिपत्र संख्या-सी-232/म०का०/म०बा०क०(347)/97-98 दिनांक-2-6-97 में यह आदेश प्रसारित किया गया था कि ऐसी विधवा जो निराश्रित विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत अनुदान प्राप्त कर रही हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हो गयी हो, को वृद्धावस्था पेंशन में स्थानान्तरण की कार्यवाही की जाये, तथा 60 वर्ष से अधिक आयु की विधवाओं द्वारा रिक्त किये गये स्थान के विरुद्ध नवीन स्वीकृतियाँ जारी की जायें। शासन ने इस सम्बन्ध में लाभार्थियों को होने वाली कठिनाईयों को दूर करने के उद्देश्य से सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि निराश्रित विधवाओं के भरण-पोषण की व्यवस्था हेतु सहायक अनुदान दिये जाने की योजना के अन्तर्गत पात्र विधवाओं को अनुदान की धनराशि उन्हें जीवन पर्यन्त दी जायेगी बशर्ते कि उन्हें किसी अन्य योजना के अन्तर्गत कोई पेंशन/अनुदान न मिल रहा हो।

भवदीय,
देवेन्द्र स्वरूप
उप सचिव

संख्या - 1608(1)/60-3-99-3(144)/99 टी०सी० तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर को मुख्य सचिव महोदय के सूचनार्थ।
2. कृषि उत्पादन आयुक्त के स्टाफ आफिसर को कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय के सूचनार्थ।
3. प्रमुख सचिव/समाज कल्याण आयुक्त, उ०प्र० शासन के निजी सचिव को प्रमुख सचिव के सूचनार्थ.
4. समस्त मण्डलायुक्त, उ०प्र०।
5. समस्त मण्डलीय उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, उ०प्र०।
6. सचिव, पंचायती राज, उ०प्र० शासन, लखनऊ।
7. निदेशक, पंचायती राज, उ०प्र०, लखनऊ।

आज्ञा से,
देवेन्द्र स्वरूप
उप सचिव